भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 457
दिनांक 24 जुलाई, 2023

इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के संबंध में

457#. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इथेनॉल की आपूर्ति हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्राप्ति के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) इथेनॉल की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिहार राज्य में इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है या बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) एक एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) के लिए एथेनॉल की कुल आवश्यकता का संयुक्त अनुमान लगाते हैं जिसे रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के रूप में प्रकाशित किया जाता है। मात्रा बोली में बोलीदाताओं द्वारा एथेनॉल की उस मात्रा को उद्दृत करना अपेक्षित है जिसकी स्थल-वार/फीड स्टॉक श्रेणी-वार/तिमाही-वार आपूर्ति उनके द्वारा ओएमसीज की तिमाही आवश्यकता के तहत की जा सकती है। प्रतिभागी बोलीदाताओं को एथेनॉल का आवंटन ईओआई के निबंधनों और शर्तों के आधार पर किया जाता है। उन स्थलों के लिए जिनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है शेष मात्रा की पूर्ति उस समय तक अगले ईओआई चक्रों द्वारा की जाती है जब तक आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

(ख) वर्ष 2014 से सरकार ने देश में एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें संबंधित बीआईएस मानक पूरे करने की शर्त पर पेट्रोरसायन रूट सहित शीरे के अलावा सैल्यूलॉसिक और लिग्नोसैल्यूलॉसिक जैसी अन्य गैर खाद्य फीड स्टॉक सामग्रियों जैसे कपास के डंठल, गेहूं का भूसा, चावल का भूसा, खोई, बांस आदि से उत्पादित एथेनॉल की अधिप्राप्ति की अनुमति देना, एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ना और खाद्यान्नों (मक्का और भारतीय खाद्य निगम के पास रखे चावल का अधिशेष स्टॉक) का

उपयोग करने की अनुमति देना, एथेनॉल के वर्धित एक्स-मिल मूल्य सहित एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी की दर कम करके 5% करना, मिश्रण के लिए सभी राज्यों में एथेनॉल की अबाधित ढुलाई हेतु उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम में संशोधन , एथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने और उसके विस्तार हेतु ब्याज इमदाद योजनाएं, एथेनॉल की कमी वाले राज्यों में समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) की स्थापना हेतु दीर्घकालिक ऑफटेक करार (एलटीओएज) आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जुलाई, 2018 से अप्रैल, 2022 तक सरकार द्वारा अधिसूचित की गई विभिन्न एथेनॉल ब्याज इमदाद योजनाओं के तहत बिहार राज्य में कुल 47 एथेनॉल परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें से 7 प रयोजनाएं शीरा आधारित हैं, 32 प रयोजनाएं खाद्यान्न आधारित तथा 8 प रयोजनाएं दो फीड स्टॉक्स पर आधा रत हैं।

****